प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 20.01.2015 को आयोजित विभागीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी में संधारित।

कार्यवाही :–

योजनाओं की समीक्षा योजनावार की गई :–

1. **डीजल अनुदान वितरण** :– डीजल अनुदान वितरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 115 करोड़ के विरूद्ध 85 करोड़ ही व्यय हुआ है। पृच्छा के क्रम में नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी डीजल अनुदान वितरण हो रहा है एवं लम्बित आवेदन का निष्पादन हो रहा है। निदेश दिया गया कि 5 सबसे खराब जिला के जिला पदाधिकारी को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अर्द्धसरकारी पत्र दिया जाय। साथ ही निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी लम्बित आवेदन का निष्पादन हो जाना चाहिए।
2. **जैविक खेती** :– जैविक खेती के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 200 करोड़ के विरूद्ध मात्र 30.78 करोड़ व्यय हुआ है। पृच्छा के क्रम में बताया गया कि गोबर/बायोगैस की उपलब्धि नहीं होने से व्यय कम हुआ है। अभी तक 30–35 व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट का आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें 15–16 का स्थल जॉच हेतु भेजा गया है। निदेश दिया गया कि आवादेन मुख्यालय स्तर पर न प्राप्त कर प्रमंडल स्तर पर प्राप्त किया जाय। साथ ही गोबर/बायो गैस का प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से कराई जाय। दिनांक 29.01.2015 को इसकी विशेष समीक्षा की जायेगी, जिसमें 5 जिला कृषि पदाधिकारी भाग लेंगे जिनकी उपलब्धि अच्छी है तथा 5 अच्छे व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट निर्माता एवं जैविक खेती कोषांग से संबंधित सभी पदाधिकारी भाग लेंगे।
3. **बिहार राज्य बीज निगम एवं बीज प्रोत्साहन योजना** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 40 करोड़ के विरूद्ध मात्र 4 करोड़ व्यय हुआ है। पृच्छा के क्रम में बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत अनुदानित दर पर बीज वितरण भी शामिल है। निदेश दिया गया कि इसका एक्शन प्लान से अवगत कराया जाय।
4. **उद्यान** :– उद्यान से संबंधित योजनाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 114.77 करोड़ के विरूद्ध 100 करोड़ का निकासी कर Bihar Horticulture Development Society के द्वारा जिला उद्यान पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। इसके विरूद्ध वास्तविक क्रय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। निदेश दिया गया कि इस योजना में प्राइवेट इंटरप्राइजेज को प्रोत्साहित किया जाय। अगले सप्ताह इस योजना की समीक्षा की जायेगी जिसमें नोडल पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी के साथ भाग लेंगे। बैठक में प्लान के साथ रहेंगे कि कैसे इसे improve किया जाय। साथ ही गत उपलब्धि के आलोक में 2–4 का सफल कहानी भी उपलब्ध करायेंगे।
5. **कृषि यांत्रिकीकरण** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 284 करोड़ के विरूद्ध अभी 184 करोड़ की निकासी कर राशि जिलों को उपलब्ध कराया गया है। 100 करोड़ का स्वीकृत्यादेश जारी

किया जाना है। पृच्छा में बताया गया कि किसान से ऑनलाईन आवेदन लिया जाता है, स्वीकृति पत्र समय पर नहीं मिलने के कारण किसान मेला में यंत्र नहीं क्रय कर पाते है। निदेश दिया गया कि हर यंत्र की कीमत निर्धारित किया जाये, साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के लिए किसान द्वारा मेला के बाहर निबंधित विक्रेताओं से क्रय किये गये यंत्र पर भी अनुदान देने पर विचार किया जाय। विशेष रूप से अभियान चलाकर इस योजना का प्रचार–प्रसार कराया जाये।

6. **बीज गुणन प्रक्षेत्र पर बीज उत्पादन एवं बीज अनुदान** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 100 करोड़ के विरूद्ध 24.69 करोड़ ही व्यय हुआ है। इस योजना में राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन, खरीफ, रब्बी एवं गरमा एवं प्रक्षेत्र सुदृढ़ीकरण तथा बीज अनुदान सम्मिलित है। बीज अनुदान का सत्यापन कराकर अविलम्ब भुगतान सुनिश्चित किया जाय। पृच्छा के क्रम में बताया कि 100 प्रक्षेत्रों पर कृषि यंत्र बैंक स्थापित किया जाना है, जहॉ से किसान भाड़े पर कृषि यंत्र प्राप्त करेंगे। यंत्र का विष्टिया शेष रह गया है। निदेश दिया गया कि कृषि अभियन्त्रण से सम्पर्क कर यह क्रार्य शीघ्र किया जाय।
7. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** :– इस योजना की समीक्षा हेतु अलग से बैठक की जायेगी।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त किया गया।

22/01/2015

(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पी0पी0एम0–71/2014 403 **पटना, दिनांक** :– 23-01-2015

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/कृषि निदेशक के आप्त सचिव/उद्यान निदेशक/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/अपर कृषि निदेशक–सह–प्रभारी किसान सलाहकार योजना/संयुक्त कृषि निदेशक(प्रसार)–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, रा0खा0सु0मि0 कोषांग एवं रा0कृ0वि0यो0/संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना, प्रभारी टाल विकास कार्यक्रम/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक माप–तौल/उप सचिव, कृषि विभाग/उप निदेशक, प्रशासन/कृषि विशेषज्ञ, पी0पी0एम0, कोषांग/अवर सचिव, प्रभारी, प्रशाखा–4 एवं प्रशाखा–1/उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र)–सह–प्रभारी पदाधिकारी, रा0खा0सु0मि0/उप कृषि निदेशक–सह–प्रभारी पदाधिकारी, रा0कृ0वि0यो0/उप कृषि निदेशक, मुख्यालय/संयुक्त कृषि निदेशक, उपयोगी अनुसंधान–सह–प्रभारी, प्रसंस्करण प्रमुख/उप कृषि निदेशक, गुण नियंत्रण–सह–प्रभारी विपणन एवं उत्पादन प्रमुख/उप कृषि निदेशक, तेलहन प्रभारी दियारा विकास कार्यक्रम/उप कृषि निदेशक, सांख्यिकी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, उर्वरक कोषांग/उप कृषि निदेशक(प्रसार)–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत एवं अनुश्रवण कोषांग/नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण योजना/उप निदेशक, उद्यान (योजना)/उप कृषि निदेशक, आलू/उप निदेशक उद्यान (नर्सरी)/उप निदेशक, उद्यान (सब्जी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/2015
निदेशक, पी0पी0एम0

ज्ञापांक :– पी0पी0एम0–71/2014 403 **पटना, दिनांक** :– 23-01-2015

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

23/1/2015
निदेशक, पी0पी0एम0